न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./13/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. नरसाराम पुत्र हरचन्दराम
2. लिखमाराम पुत्र हरचन्दराम
3. दौलाराम पुत्र हरचन्दराम
4. दुर्गाराम पुत्र हरचन्दराम
5. श्रीमती झमूदेवी पत्नी हरचन्दराम
6. छगनाराम पुत्र रायमलराम
7. गजाराम पुत्र रायमलराम
8. श्रीमती मीरो पत्नी रायमलराम
9. मंगलाराम पुत्र खेताराम
10. सांवलाराम पुत्र खेताराम
11. जोगाराम पुत्र खेताराम
12. गोरखाराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. केसराराम पुत्र वोताराम
2. बागाराम पुत्र वोताराम
3. रामाराम पुत्र बेनाराम
4. खुबाराम पुत्र जवानाराम
5. देवाराम पुत्र जवानाराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार सिणधरी
7. बाबूलाल पुत्र भींयाराम जाति सोनी निवासी सिणधरी
8. ठाकराराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी नीम्बलकोट
9. जगदीश पुत्र आसूराम जाति माली निवासी भाटाला
10. गणेशकुमार पुत्र बाबूलाल जाति सोनी निवासी सिणधरी
11. पारसमल पुत्र लालाराम
12. जेठाराम पुत्र चूनाराम
13. गुणेशमल पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी होडू व सांजटा
14. लक्ष्मण बेनिवाल पुत्र भेराराम बेनिवाल जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी
15. बाबुराम पुत्र चैनाराम जाति जाट
16. राणाराम पुत्र जेरूपाराम जाति लखारा निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी
17. बाबूलाल पुत्र डूंगराराम जाति सुथार निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी
18. गोमतीदेवी पत्नी बाबुलाल
19. चैनाराम पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत
20. बाबुलाल पुत्र मिश्राजी जाति दर्जी
21. बाबुलाल पुत्र सुरताराम जाति सोनी
22. बंशीलाल पुत्र वालाराम जाति राजपुरोहित
23. मिश्राराम पुत्र मगाराम जाति सुथार निवारी डाबलीसरा तहसील सिणधरी

राजस्व अपील प्राधिकारी अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

24.जगदीश पुत्र आसुराम जाति माली
निवासी होडू
25.लुणाराम पुत्र मगाराम जाति सोनी
निवासी भाटाला
26.गेनाराम पुत्र वालाराम जाति सुथार
निवासी आडेल
27.मोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति जाट
निवासी रामदेवरा
28.मुकेश वल्द जेठमल जाति सोनी
निवासी सिणधरी चोसीरा तहसील
सिणधरी
29.सवाईराम पुत्र बालाराम जाति सुथार
निवासी डाबलीसरा तहसील सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2017 बअनवान केसराराम बनाम नरसाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राजेन्द्र आचार्य अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रावताराम प्रजापत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 26.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खसरा संख्या 248 व 257 कुल रकबा 15.03 बीघा ग्राम खारा महेचान में, खसरा संख्या 18 रकबा 66.00 बीघा ग्राम गादेसरा में, खसरा संख्या 24, 67, 69, 156 व 158 कुल रकबा 162.01 बीघा ढण्ढ मे, खसरा संख्या 519 व 663 कुल रकबा 30.10 बीघा ग्राम खारा महेचान में तथा खसरा संख्या 343 रकबा 05.13 बीघा ग्राम चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में अपनी खातेदारी घोषणा का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर एकपक्षीय डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील पेश की गई। जो अपील संख्या 126/2013 बअनवान नरसाराम बनाम केसराराम पर दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 31.01.2017 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया गया। पत्रावली पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अपीलांटगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144, 151 सी पी सी प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 से 05 के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.

(राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर — seal)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

09.2013 न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो विधि के अनुकुल नहीं होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनो विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जब न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त कर दी गई उसके बाद पूर्व की स्थिति बाहल करना ही न्यायोचित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि से परे जाकर पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया तथा निर्णय व डिक्री अपास्त होने से उसकी पालना में की गई समस्त आनुषंगिक कार्यवाही भी शून्य हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर ★

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि 20–25 दिन पूर्व जब अपीलांट अपने प्रकरण की जानकारी लेने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया तब वकील द्वारा अवगत करवाया गया कि मेरे द्वारा धारा 144 सी सी का प्रार्थना–पत्र मेरे हस्ताक्षर से पेश किया गया जो खारीज हो चुका है। जिस पर अपीलांट पक्ष द्वारा नकले तैयार कर यह अपील तुरन्त प्रभाव से पेश की जा रही है। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं भुगताई जा सकती है। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/डिक्री दिनांक 27.09.2013 अपील में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय/डिक्री दिनांक 31.01.2017 से अपास्त कर दिया। इसके फलस्वरुप अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सीपीसी के तहत प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन पेश किया गया। इस आवेदन पर सुनवाई पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश/निणर्य दिनांक 22.03.2017 में यह अंकित करते हुए खारिज किया कि अपीलीय न्यायालय हाजा का निर्णय अंतिम नहीं है। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय/डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया है लिहाजा अपीलांट पक्ष विधि के प्रावधानों के अनुसार(RRT 2012(2) पेज 831) प्रत्यास्थापन के अधिकारी है। अपील अपीलांट स्वीकार करने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2017 बअनवान केसराराम बनाम नरसाराम में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी उच्चतर न्यायालय का प्रकरण में कोई स्थगन नहीं हो तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 27.09.2013 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति प्रत्यास्थापित (पूर्व स्थिति बहाल) कर पालना की जावे। यह निर्णय भावी सक्षम आदेशों के अध्यधीन रहेगा।

26/8/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner